NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx
i”l foKfIr fnukd 26-02-2011
ctV 2011&12

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जो कि वित्त मंत्री भी है, ने आज वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये कुल 32,477.77 करोड़ का सकल बजट अनुमान एवं 30,725.96 करोड़ का शुद्ध बजट अनुमान विधान सभा में प्रस्तुत किया । बजट में राज्य सरकार की प्राथमिकता का उल्लेख करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बजट प्रदेश के किसान, गरीब कामगार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हैं तथा बजट में इन वर्गो के समुचित विकास के उद्देश्य से सर्वाधिक प्रावधान कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास हेतु किया गया हैं । इसके अलावा मूलभूत अधोसंरचना विकास को भी प्राथमिकता दी गई हैं ।

2. प्रदेश की ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था में कृषि के महत्व को देखते हुए कृषि विभाग के बजट में 44 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 985 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं । प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में प्रदेश के किसानों को राहत देने के उद्देश्य से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर तथा बिलासपुर जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की जायेगी, जिसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सिंचाई हेतु चालू वर्ष के बजट में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 2,123 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तारित करते हुए बस्तर संभाग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को एक किलोग्राम चना प्रतिमाह उपलब्ध कराने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं, जिससे 4.85 लाख परिवार लाभांवित होगें ।

इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है । बस्तर संभाग के सभी उप–स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद निर्मित करने के साथ ही राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 741 ग्रामीण चिकित्सा सहायक तथा स्टॉफ नर्स भी उपलब्ध कराये जायेंगे ।

शिक्षा के चालू वर्ष के बजट में 22 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 4,805 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं, जो कुल बजट का 19 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में निवासरत् छात्रों के शिष्यवृत्ति को प्रतिमाह 450/– से बढ़ाकर 650/– किया जा रहा है, इसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया हैं । 20 नवीन आश्रम शालाऍ तथा 34 छात्रावास स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

3. इस बजट में मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कई वस्तुओं पर कर से रियायत की घोषणा भी की गई है । गाय के गोबर, गौमूत्र व पंचगव्य से निर्मित किये जाने वाले सभी उत्पाद, सुगंधित तेल, स्टील–पाइप निर्माण के लिये कच्चा माल, स्टील स्ट्रिप एवं कॉयल, प्लास्टिक के जूते–चप्पल, पूजा की सामग्री, उपवास सामग्री तथा बैटरी चलित इलेक्ट्रिक कार को कर मुक्त किया गया हैं । गैस चूल्हा पर तथा स्टील निर्मित वायरमेश पर वेट की दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है । प्रदेश में कर चुकायी गयी पुरानी कारों के विक्रय पर वर्तमान में लागू 5 प्रतिशत कर को कम किया जाकर 1 प्रतिशत किया गया हैं । करों की संख्या में कमी द्वारा कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में वृत्तिकर पूर्णरूपेण समाप्त किया गया है ।

प्रदेश में निबाध व्यापार को बढ़ावा देने तथा इंस्पेक्टर राज्य प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के समस्त वाणिज्यिक कर चेक पोस्टों को एक वर्ष के लिए बंद किया गया हैं ।

4. 2000 तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दूकानें दिनांक 1.04. 2011 से बंद करने का निर्णय लिया गया है।

5. राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2004–05 के स्थिर भावों पर वर्ष 2008–09 की तुलना में वर्ष 2009–10 में 11.93 प्रतिशत की वृद्धि परलक्षित हुई है । सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष 2009–10 की तुलना में वर्ष 2010–11 के अग्रिम अनुमान में 11.57 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन एवं खनिज) में 4.08 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 14.87 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 13.75 प्रतिशत वृद्धि संभावित है ।

6. **ctV ,d utj e**

¼jkf'k ` djksM e½

Ø-	en	2010&11 ¼ctV vuqeku½	2011&12 ¼ctV vuqeku½	ifr'kr ifjorZu
1-	कुल आय (अ+ब+स+द)	**24]136-25**	**30]386-22**	**25-89**
	अ. राज्य का राजस्व	11,826.92	14,141.32	19.57
	ब. केन्द्र से प्राप्त राजस्व	8,699.42	11,668.58	34.13
	स. ऋणों की वसूली	979.05	1,096.27	11.97
	द. ऋण	2,630.85	3,480.05	32.28
2-	कुल व्यय	**24]685-44**	**30]725-96**	**24-47**
3-	बजटीय घाटा (अ + ब)	**1]031-56**	**951-74**	–7.74
	अ. चालु वर्ष का घाटा	549.19	339.74	–38.14
	ब. पूर्व वर्षो का घाटा	482.37	612.00	26.87
4-	सकल वित्तीय घाटा = 2 – (1 अ + 1 ब + 1 स)	**3]180-03**	**3]819-79**	20.12

7. चालू वर्ष की तुलना में राज्य के कर राजस्व में 18 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 8 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित करते हुये **1]348-13 djksM dk jktLo vkf/kD; dk ctV iLrqr fd;k x;k g] ftldk mi;ksx ctV esa lfEefyr iwathxr enks d fy;s fd;k tk;xkA o"kZ 2010&11 ds ctV vuqeku dh rqyuk esa dqy 0;; 24-47 ifr'kr vf/kd gA o"kZ 2011&12 ds fy;s 'kq) ctVh; ?kkVk 339-74 djksM g ,o iwoZ o"kksZ ds lfpr ?kkVk dks 'kkfey djrs g;s o"kZ 2011&12 ds fy;s ctV ?kkVk 951-74 djksM gA ctV esa **ldy foRrh; ?kkVk** ¼_.k iwfrZ dk NksMdj jkT; dh ldy vk; ,o ldy 0;; dk vrj½ 3]819-79 djksM vuqekfur fd;k x;k g] tks fd jkT; dh ldy ?kjsyw mRikn dk yxHkx 3 ifr'kr g**। यह वित्तीय घाटा ''छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम'' में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है।

8. कुल व्यय में से आयोजना व्यय (Plan Expenditure) 17,434 करोड़ है, **tks fd ctV vuqeku ds vk;kstuk 0;; dh rqyuk esa 28 ifr'kr vf/kd g A dqy vk;kstuk esa jkT; vk;kstuk 93 ifr'kr g] ftlesa** सामान्य क्षेत्र के लिये 54 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति

उपयोजना के लिये 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 11 प्रतिशत का प्रावधान है।
vk;ktuRrj 0;; 13]292 djkM vuekfur fd;k x;k g] tk fd ctV vuekuk dh rqyuk e yxHkx 20 ifr'kr vf/kd है । **dy 0;; e vk;ktuk 0;; 57 ifr'kr gA**

9. सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रावधान किया गया है, जो कुल व्यय का 80 प्रतिशत है, इसमें कृषि के लिये 12 प्रतिशत, सिंचाई हेतु 7 प्रतिशत, ग्रामीण विकास हेतु 6 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 19 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य हेतु 4.5 का प्रतिशत प्रावधान है ।

10. पूंजीगत व्यय 5,077 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है तथा यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत है ।

11- ie[k {k=k gr ikO/kku

¼jkf'k `djkM e½

d-	foHkkx	2010&11 ¼ctV vuekuk½	2011&12 ¼ctV vuekuk½	ifr'kr ifjorZu
vkfFkd {k=				
1	कृषि, पशुपालन तथा मछलीपालन	963.14	1,328.99	37.98
2	सिंचाई	1,805	2,166.62	20.03
3	ऊर्जा	397.19	505.53	27.28
4	आवास एवं पर्यावरण	404.68	518.62	28.16
5	लोक निर्माण विभाग	1,854.81	2,356.95	27.07
6	वन विभाग	666.61	885.95	32.90
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1,160.95	1,993.44	71.71
dy vkfFkd {k=		**9]154-50**	**10]371-62**	**13-29**

lkekftd {k=				
1	महिला एवं बाल विकास	825.70	876.13	6.11
2	स्वास्थ्य	943.90	1,214.20	28.64
3	आदिम जाति कल्याण	2,237.67	2,625.22	17.32
4	शिक्षा	3,922.52	4,805.00	22.21
dy lkekftd {k=		**10]338-50**	**14]070-50**	**36-09**
lkekU; {k=				
1	गृह (पुलिस)	1,140.15	1,535.49	34.67
2	राजस्व	670.17	791.75	18.14
dy lkekU; {k=		**5]192-00**	**6]283-83**	**21-02**

o"k 2011&12 e 0;; d e[; iko/kku

¼djkM : i ;½

df"k foHkkx

1. रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर तथा बिलासपुर जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना	5.00
2. शाकम्भरी योजना	25.00
3. कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	75.00
4. 25 पशु औषधालय की स्थापना	1.00
5. 15 पशु औषधालयों का चिकित्सालयों में उन्नयन	1.25
6. राजनांदगांव में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना	1.00

lgdkfjrk

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	7.50
2. कृषकों को ब्याज अनुदान	90.00
3. रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	0.50

flpkb

1. चालू सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने हेतु	1840.45
2. अरपा भैंसाझार वृहद सिंचाई योजना, 59 एनीकट तथा 59 लघु सिंचाई योजनाएँ	95.00
3. वृहद सिंचाई योजनाओं की मरम्मत	11.00
4. लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत	6.32

[kk|

1. बस्तर संभाग में बी.पी.एल. परिवारों को प्रतिमाह एक किलोग्राम चना प्रदाय	12.00
2. बी.पी.एल.धारकों के लिऐ स्मार्ट कार्ड योजना	1.72
3. रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 50 दुकान सह गोदाम निर्माण	5.00

ykd LokLF; ;kf=dh

1. 5000 बसाहटों में हैंडपंप, नलजल तथा स्पार्टसोर्स योजना	150.00
2. बस्तर एवं सरगुजा संभाग में 09 चलित प्रयोगशालाओं की स्थापना	1.35
3. गोबरा नवापारा, जामुल नगर, बेमेतरा, अहिवारा, धमधा, गंडई–पंडरिया, छुरिया, बस्तर, फरसगांव, केशकाल तथा विश्रामपुरी में नवीन जल प्रदाय योजना	6.00

f'k{kk

1. 100 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन	8.00
2. प्राथमिक शालाओं के सभी छात्राओं को गणवेश प्रदाय	30.00
3. युवा कैरियर योजना	1.00
4. 93 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवनों के नवीन भवन निर्माण एवं 346 हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी भवनों का का विस्तार	76.00
5. जांजगीर चांपा, जशपुर तथा कोरबा में जिला ग्रंथालय रायपुर में केन्द्रीय ग्रंथालय तथा 10 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का भवन निर्माण	3.00
6. 7 नवीन महाविद्यालय	4.20
7. रायपुर में सह शिक्षा पालिटेक्निक	3.00
8. 7 नवीन आई.टी.आई की स्थापना	2.00
7. बिलासपुर में 1 नवीन विश्वविद्यालय	1.00
8. हिन्दस्वराज पीठ तथा संस्कृत भाषा सम्मान पुरस्कार	0.12
9. 3 रोजगार कार्यालयों का भवन निर्माण	1.80

vuqlfpr tkfr ,oa tu tkfr fodkl

1. 20 नवीन आश्रम शालायें	2.66
2. 34 छात्रावास की स्थापना	2.08
3. 40 हाईस्कूलों का हायरसेकण्ड्री में उन्नयन	3.80
4. शिष्यवृत्ति की वर्तमान दर 450 रूपये में वृद्धि कर 650 रूपये प्रति माह	15.00
5. रायपुर में 300 सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास	1.00

LokLF;

1. स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 5179 पदो का निर्माण	36.92
2. 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मुंगेली एवं जगदलपुर में 100 बिस्तर क्षमता वाले चिकित्सालय की स्थापना	5.67
3. 4 संभागीय कार्यालयों की स्थापना	2.00
4. 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20 आयुष औषधालय के भवन निर्माण	22.86
5. सिकलसेल प्रबंधन कार्यक्रम	2.95
6. चिकित्सा महाविद्यालयों तथा संबद्ध चिकित्सालयों के लिये उपकरण	49.00
7. 4 आयुष पाली क्लीनिक की स्थापना	0.10
8. आयुष दीप समितियों को अनुदान	1.87

efgyk ,o cky fodkl

1.	पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	372.00
2.	अनुसूचित जन जाति क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केन्द्रों में वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था	1.00
3.	आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गणवेश	5.00
4.	अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के लिये आवास सह कार्यालय निर्माण	5.00
5.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकल प्रदाय	2.25
6.	1250 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण	37.50
7.	सामुहिक विवाह योजनांतर्गत सहायता राशि 5000 रूपये में वृद्धि कर 10000 रूपये	

lekt dY;k.k

1.	घरौंदा योजना (मंद बुद्धि एवं आंशिक अल्प विकसितों हेतु आवासीय केन्द्र)	3.00
2.	माना केन्द्र रायपुर में विभिन्न संस्थाओं हेतु एकीकृत परिसर का निर्माण	2.00
3.	एकीकृत वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना	2.00
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकलांग पुर्नवास कार्यक्रम का बस्तर एवं सरगुजा में विस्तार	1.00

ipk;r ,o xkeh.k fodkl

1.	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना	100.00
2.	ग्रामीण अवसंरचनाओं का उन्नयन	120.00
3.	15 जिलों में संचालित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा राज्य के 10 नक्सल प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्य योजना	560.00

uxjh; i'kklu ,o fodkl

1.	शहरी क्षेत्र मे मुलभूत सुविधाओं तथा अधोसंरचनात्मक विकास हेतु नगर निगमों को एकमुश्त अनुदान	100.00
2.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अंतर्गत रायपुर जल प्रदाय योजना	245.00
3.	109 नगरीय निकायों में झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य एवं आवास निर्माण	45.00
4.	एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती सुधार योजना	76.00
5.	नगरीय निकायों के लिये विशिष्ट प्रयोजनार्थ योजनाएं	107.00

vkokl ,o i;koj.k

1.	विकास नगर योजना हेतु राज्य शासन का अंशदान	5.00
2.	नये रायपुर क्षेत्र भूमिगत विद्युतीकरण तथा सिवरेज परियोजना	64.00
3.	नया रायपुर क्षेत्र में रेल्वे लाईन एवं रेल्वे स्टेशनों का निर्माण	10.00
4.	नवीन राजधानी क्षेत्र में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत प्राप्त राशि से शासकीय कर्मचारियों के आवासीय भवनों तथा अन्य विभागध्यक्ष कार्यालयों का भवन निर्माण	137.50

m|kx ,o xkek|kx

1.	उद्योगों को ब्याज अनुदान	40.00
2.	औद्योगिक ईकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	4.50
3.	नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	20.00
4.	औद्योगिक पार्को हेतु	10.00
5.	राज्यस्तरीय मेला प्रांगण का निर्माण	0.10
6.	डोंगरगढ़ में शिल्प ग्राम की स्थापना	0.50
7.	शिल्पियों हेतु डिजाईन शिक्षा	0.10

Je dY;k.k

1.	छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल हेतु	5.00
2.	कर्मचारी राज्य बीमा अंतर्गत 3 नये औषधालयों की स्थापना	1.62
3.	कोरबा तथा राजनांदगांव में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालयों की स्थापना	1.00

ou

1.	5 बांस प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना	2.50
2.	वन्य प्राणियों का प्राकृतिक वास का समन्वित विकास	1.00

mtk

1.	5 हार्स पावर के ढाई लाख से अधिक कृषि पंपों के निःशुल्क विद्युत प्रदाय	177.00
2.	एकल बत्ती कनेक्शन	60.00
3.	स्कूलों तथा अस्पतालों तक विद्युत सुविधा पहुचानें हेतु	10.00

ykd fuek.k

1.	1 रेल्वे ओव्हर ब्रिज तथा 3 रेल्वे अंडर ब्रिज का निर्माण	4.20
2.	105 पुलों का निर्माण	43.56
3.	10 राज्य मार्गो का निर्माण	26.87
4.	68 मुख्य जिला सड़कों का निर्माण	168.24

[kfut

1. खनिजों के अवैध उत्खनन के रोकथाम हेतु 4 जिलों में

	माईनिंग टेनामेंट रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने हेतु	0.50

foekuu

1.	रायगढ़ तथा जशपुर के हवाई पट्टीयों का उन्नयन	4.00
2.	बीजापुर एवं कबीरधाम में नई हवाई पट्टी का निर्माण	4.00
3.	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 10 विकासखण्ड मुख्यालयों के 10 हैलीपेड का निर्माण	0.40

foRr ,o ;ktuk

1.	राज्य में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप संबंधी कार्य हेतु सी.आई.डी. सी. को अनुदान	5.00
2.	राज्य योजना आयोग एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	2.00

jktLo

1.	10 नजूल नगरों का हवाई सर्वेक्षण	2.32
2.	अभनपुर एवं धरसीवा में तहसील कार्यालय भवन का निर्माण	0.50
3.	मुंगेली जिला बिलासपुर में अतिरिक्त कलेक्टर कार्याल्य की स्थापना	45.00

ifyl ,o tsy i'kklu

1.	पुलिस विभाग में 4000 हजार अतिरिक्त पदों का सृजन	100.00
2.	3 जिलों के लिये नगर सैनिकों के 1287 पदों का सृजन	1.00
3.	20 थाना भवन तथा अन्य भवनों के निर्माण हेतु	9.00
4.	650 पुलिस कर्मियों के आवासीय भवन का निर्माण	62.50
5.	जेलों की अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण	37.50

fof/k ,o fo/kk;h dk;Z

1.	भिलाई एवं अकलतरा में सिविल न्यायाधीश वर्ग–एक कार्यालय की स्थापना	0.61
2.	अंबिकापुर एवं दुर्ग में स्थाई लोक अदालत की स्थापना	0.40
3.	विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु 8 मोबाईल क्लीनिक	0.42